न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– करतारसिंह पूनियॉं आर.ए.एस.

अपील संख्या 82/2020
आरसीएमएस नं. 2020/00082

गंगाराम पुत्र श्री मोटाराम जाति जाट निवीास नौरंगदेसर तहसील व जिला हनुमानगढ। – अपीलान्ट

बनाम

1. बख्तावरी देवी पत्नी स्व0 श्री जीराम जाति जाट निवासी नौरंगदेसर तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ जिला हनुमानगढ। – रेस्पोडैन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 आरटीएक्ट
विरूद्व निर्णय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ
दिनांक 19.03.2020 प्रकरण संख्या 268/2013
बअनवानी गंगाराम बनाम बख्तावरी

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

श्री देवीलाल भांभू अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री मति शकुन्तला भाटीवाला अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1
श्री रविन्द्र कुमार भोबिया अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 2

निर्णय दिनांक – 20.02.23

1. इस प्रकरण में तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायलाय के समक्ष चक 16 एनडीआर के प. नं. 146/350 के किला नं. 20, 21/2 की पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण 1 गट्ठा रास्ता स्वीकृत करवाने तथा खाता संख्या 13/72 के किला नं. 10 व 11 में चालू रास्ता पर किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करने हेतु रेस्पोडेण्ट को पाबंद किये जाने हेतु प्रार्थना–पत्र पेश कर अनुतोष चाहा गया। अपीलांट की कृषि भूमि को अन्य कोई रास्ता नही होना पाया गया तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा अपीलाण्ट के प्रार्थना–पत्र को स्वीकार करते हुए रास्ते के बदले में चिपती भूमि दिये जाने पर रास्ता स्वीकृत करने की सहमती

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

दी गई। अपीलाण्ट ने रेस्पोडेण्ट के जवाब प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए रास्ते के बदले में चिपती भूमि न दी जाकर कानूनी प्रावधानों के अनुसार प्रतिफल स्वरूप राशि दिये जाने का निवेदन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिफल स्वरूप राशि न दी जाकर रास्ता के बदले में अपीलाण्ट की चिपती भूमि दिये जाने के आदेश दिये गये, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कतई विधि विरूद्ध रूप से रास्ता के बदले में भूमि दिये जाने के आदेश दिये गये हैं जो बिना विधि का विवेचन किये कतई विधि विरूद्ध रूप से अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.03.2020 को पारित किया गया आदेश जिसकी नकल कोरोना संक्रमण काल में लॉक डाउन होने के कारणपूर्व में प्राप्त नहीं हो सकी। नकल हेतु दिनांक 01.07.2020 को प्रार्थना–पत्र पेश किया गया तथा दिनांक 08.07.2020 को नकल प्राप्त होने पर आज बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी है। जो अन्दर मियाद शुमार की जावे। देरी क्षमा की जावे एवं अपील अपीलांट स्वीकार की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2022 (2) पेज 996 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।
4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अपीलाण्ट को चाहा गया रास्ता दे दिया गया है। रास्ते में आई भूमि के बदले में रेस्पोडेण्ट को चिपती भूमि दिये जाने के आदेश दिये हैं जो विधि सम्मत है। अपीलाण्ट ने हैरान परेशान करने के लिए यह अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।
5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
6. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता हैं। अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।
7. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है। अपीलाधीन आदेश के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 251 –ए काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना–पत्र को स्वीकार करते हुए चक 16 एनडीआर के खाता संख्या 33/28 के प.नं. 146/350 के किला नं. 20, 21/2 में पश्चिम किनारे पर बने खाला के साथ साथ उत्तर से दक्षिण प्रत्येक किला में 0.012 है0 गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत किया है। रास्ते में आई भूमि के बदले में अपीलाट की खातेदारी भूमि प. नं. 146/350 (40) के किला नं. 13 में

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

जो किला नं. 14 के चिपती हुई भूमि का खातेदार घोषित किया है। अपीलांट भूमि के बदले में भूमि नहीं देना चाहता है। बल्कि रास्ते में आई भूमि के बदले में मुआवजा राशी देने के लिए तैयार है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी 2022 (2) पेज 996 में भी यह अभिनिर्धारित किया गया है कि 2012 के संशोधित अधिनियम के नियम 70 के अधीन भूमि के बदले में भूमि देने का प्रावधान नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.03.2020 को रास्ते के बदले में चिपती भूमि दिये जाने की हद तक निरस्त किया जाता है एवं विधि अनुसार प्रतिफल स्वरूप डीएलसी दर की दुगुनी राशि दिये जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं आदेश दिया जाता है कि रेस्पोडेण्ट सं0 1 चक 16 एनडीआर खाता संख्या 13/72 के किला नं. 10 व 11 में सदामत से आज तक चालू रास्ता में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 20.02.23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(करतार सिंह पूनियां)
आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ